लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1539
उत्तर देने की तारीख : 26.07.2022

घुमंतू जनजातियों के लिए आवास

1539. श्री सौमित्र खान:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का घुमंतू जनजातियों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा उनकी आजीविका सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विकास तथा कल्याण बोर्ड, ने डीएनटी आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, घुमंतू समुदायों के लिए आवास भी शामिल है। यह स्कीम पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाएगी।

(ख): डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम (सीड) का एक उद्देश्य डीएनटी की परंपरागत कला को बचाने के लिए कदम उठाना और उनके कौशल विकास, सामुदायिक कलस्टरों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) आदि को प्रोत्साहित करने के लिए उनके विपणन पहल कार्यों को सुविधा प्रदान करना है ताकि घुमंतू समुदायों के आजीविका अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।

******